राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस नोट

एफ.6(01) परीक्षा 'क'/राज्य – अधी/2021–22/268 दिनांकः 06.07.2023

आरक्षित वर्ग/श्रेणी के प्रमाण पत्रों के संबंध में

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2021 में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 10.07.2023 से आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है, इस हेतु साक्षात्कार के प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के **साक्षात्कार पत्र** आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिये गये है तथा साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में **''आवश्यक दिशा–निर्देश''** भी जारी किये गये है।

उक्त क्रम में लेख है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित प्रावधानानुसार जाति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय साथ लावें।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 जयपुर, दिनांकः 17.10.2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र क्रमाक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 20.01.2022 में निम्नानुसार जारी किया गया थाः–

"राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का, होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण–पत्र आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना चाहिये, ताकि भर्ती प्रकिया प्रारम्भ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण–पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो।"

उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता हैः–

"यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।"

अतः सभी संबंधित को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Gera 17/10/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

katara/Year 2022/Circular//19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

17/10/2022

संयुक्त शासन सचिव

katara/Year 2022/Circular//20